



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

क्षेत्रीय कार्यालय,

ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग काम्पलेक्स सेक्टर-बीटा-2, ग्रेटर नोएडा।

(लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु सहमति)

संदर्भ संख्या **55** / सी/जी-85/2016

दिनांक: **13/04/16**

सेवा में,

मेसर्स जी०के० फैशन्स प्रा०लि०,

प्लॉट नं०-डी-204, 205, ई०पी०आई०पी०, औ० क्षेत्र, साइट-5, कासना,

ग्रेटर नोएडा।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक **14.03.2016** का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या सहमति(वायु) आदेश **जी-18/03/16** दिनांक **13/04/16** को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या **1,3,6,7,8,10,11,12,13,15** जो नीचे वर्णित हैं, आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2.के०वी०ए० क्षमता के डी०जी०सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/ भवन छत सेमी० ऊँचाई किया जाये।
3. पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर एवं त्रैमासिक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का प्राविधान, संचालन एवम् रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषणकारी व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता संबंधी आख्या एवम् अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवम् वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. उद्योग का प्रत्येक वर्ष का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समयावधि 30 सितम्बर से पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
12. रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं पीजोमीटर की स्थापना की जाये।
13. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
14. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु डी0जी0 सेट एकास्टिक इन्क्लोजर स्थापित किया जाये।
15. सहमति शुल्क बकाया होने कि स्थिति में देय होगा।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या-

तददिनांक-

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-1) उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

क्षेत्रीय कार्यालय,

ए-1, प्रथम तल, शॉपिंग काम्पलेक्स सेक्टर-बीटा-2, ग्रेटर नोएडा।

सहमति आदेश पत्र

(लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु सहमति)

संदर्भ संख्या निर्गत जी- 18/03 /सहमति/वायु आदेश/2016

दिनांक- 13/04/16

विषय: सहमति मेसर्स जी०के० फैशनस प्रा०लि०, प्लॉट नं०-डी-204, 205, ई०पी०आई०पी०, औद्योगिक क्षेत्र, साइट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ : आवेदन संख्या- शून्य

दिनांक : 14.03.2016

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मेसर्स जी०के० फैशनस प्रा०लि०, प्लॉट नं०-डी-204, 205, ई०पी०आई०पी०, औद्योगिक क्षेत्र, साइट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 14.03.2016 से 31.12.2016 की अवधि तक हेतु मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21, में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।
4. यह सहमति पत्र कटाई एवं सिलाई द्वारा रेडीमेड गारमेन्ट्स के उत्पादन हेतु मान्य है। वाशिंग, डाइंग आदि प्रदूषणकारी प्रक्रियाएँ अनुमन्य नहीं होंगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ग्रेटर नोएडा ।

संलग्नक आदेश संख्या-...../सहमति(वायु)/आदेश/.....दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| वायु प्रदूषण के स्रोत | प्रयुक्त ईंधन | स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|

वायु प्रदूषण के स्रोत	प्रयुक्त ईंधन	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था
(i) 1x125 के0वी0ए0	डीजल-आवश्यकतानुसार	एकास्टिक इनक्लोजर एवं छततल से 2.5 मीटर ऊँची चिमनी
(ii) 1x45 के0वी0ए0	डीजल-आवश्यकतानुसार	एकास्टिक इनक्लोजर एवं छततल से 1.5 मीटर ऊँची चिमनी
(iii)		
(iv)		
(v)		
(vi)		

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो ।

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	बोर्ड मानको के अनुरूप मिलीग्राम प्रतिनार्मल मीटर क्यूबिक मीटर
(ii)	मैटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	—
(iii)	हाईड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	—
(iv)	सल्फर डाई आक्साइड	(पी०सी०एम०)
(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	—
(vi)	हाइड्रोकार्बन	—
(vii)	अमोनिया	—
(viii)	प्लोरीन	—
(ix)	मरकैप्टेन	—

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों सद्वर्धित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो सद्वर्धित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
14. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता /इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैद्य रहेगी।
17. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र आन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


क्षेत्रीय अधिकारी